राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राजकुमार बनाम कमली देवी

तारीख हुक्म	259/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो।	
26/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 188 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 12/09/2019 पारित करते हुए रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4/वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मोरीजा तहसील चौमू के हाल खसरा नम्बर 775, 776 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.24 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम हिस्सा 1/21 भाग में से 3/4 भाग तथा खसरा नम्बर 764/2, 770, 772/2 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम का हिस्सा 1/42 भाग में से 3/4 भाग तथा वाके ग्राम चौमू के हाल खसरा नम्बर 7040, 7041 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम हिस्सा 171/9800 भाग में से 3/4 भाग तथा खसरा नम्बर 7044, 7045 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम के हिस्सा 37/2600 भाग में से 3/4 भाग का तथा खसरा नम्बर 6998, 7000, 7013, 7015 लगायत 7019, 7024 लगायत 7026, 7031/7968, 7032, 7175, 7187, 7187/7334, 7188, 7189 कुल किता 18 का कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम के हिस्सा 1/42 भाग में से 3/4 भाग का तथा खसरा नम्बर 7020, 7021 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम का हिस्सा 1/42 भाग में से 3/4 भाग तथा खसरा नम्बर 7176 रकबा 0.31 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम का हिस्सा 284/16275 भाग में से 3/4 भाग का वादीगण संख्या 2 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निर्णय व डिक्री दिनांक 12/09/2019 के विरुद्ध यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं धारा 5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं धारा 5 कानून मियाद के संदर्भ में उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिदृश्य में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राजकुमार बनाम कमली देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का अवलोकन किये जाने से उसमे कोई विधिक त्रुटी दृशित नही होती है एवं उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य जाहिर नही होते है। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यो का परीक्षण करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12/09/2019 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।